–:: राज्य विशेष शाखा राजस्थान, जयपुर ::–

क्रमांकः–न–5 (20) पुविशा / संस्था. / कानि. भर्ती–23 / नियुक्ति / 2024 / 7259-70 दिनांकः– 20/05/2025

–:: आदेश ::–

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक नं.5(02)पु.फो./कानि0भर्ती/2023/3346 दिनांक 03.08.2023 के द्वारा सी.आई.डी. इन्टेलीजेंस के लिये कानिस्टेबल सामान्य ड्यूटी नॉनटीएसपी–46, टीएसपी–25 एवं कानिस्टेबल श्वान दल–08 कुल–79 विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 एवं पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के स्थाई आदेश संख्या 04/2023 दिनांक 27.07.2023 में निहित प्रावधानानुसार आवेदित 1068 अभ्यर्थियों की पीईटी/पीएसटी हेतु भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के आदेश क्रमांक 4675 दिनांक 10.11.2023 द्वारा बोर्ड का गठन किया गया। चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 27.12.2023 को चित्रकूट स्टेडियम, जयपुर में पीईटी/पीएसटी आयोजित कर सफल अभ्यर्थियों का रिकार्ड भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को प्रेषित किया गया।

नियुक्ति के अनिच्छुक/अन्य नियोजित एवं अन्य कारणों से रिक्त रहे पदों को समग्र वरीयता सूची से चयन सूची पर लिए जाने हेतु भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा रिव्यू बोर्ड का गठन किया गया। रिव्यू बोर्ड द्वारा संशोधित चयन सूची जारी की गई जिसका महानिदेशक पुलिस, द्वारा अनुमोदन करने के उपरान्त निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण में योग्य पाये जाने एवं चरित्र सत्यापन/शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि/विशेष योग्यता/जाति, मूल निवास/आर्थिक पिछड़ा वर्ग इत्यादि मूल प्रमाण पत्रों का ऑन लाईन/ऑफ लाईन सत्यापन एवं पुलिस चरित्र सत्यापन करवाये जाने पर सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–15 (1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम/2017 के नियम–16 शैड्यूल–IV में निहित प्रावधानुसार पारिश्रमिक रूपये 14600/–(अक्षरे चौदह हजार छः सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह पर इन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कॉन्सटेबल पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हे नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की राशि राज्य सेवा में उपस्थिति/कार्य ग्रहण की तिथि से देय होगी। परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता व विशेष भत्ता आदि) देय नहीं होगें तथा इस अवधि को सेवा अवधि में वार्षिक वेतन वृद्दि के गणना योग्य नहीं माना जावेगा एवं सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार होगी। यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989, राजस्थान सेवा नियम–1951 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन रहेगीः–

कॉन्सटेबल सामान्य ड्यूटी (नॉन टीएसपी/टीएसपी)

क्र. सं.	रोल नम्बर	नाम अभ्यार्थी का नाम	पिता का नाम	मूल वर्ग	जन्म तिथि	शिक्षा	लिंग	आवेदक का पूर्ण पता	जाति	चयन वर्ग	चयन सूची क्रमांक	आवंटित बैल्ट नं0
1	1002548	श्री अर्जुन सिंह जाट	कन्हैयालाल जाट	GENERL	30-08-1997	B.S.C	MALE	गांव अम्बापुरा, पोस्ट जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर पिन–305406	जाट	GEN-M-20 NTSP	GEN-M-20	1150
2	1002316	श्री हरिओम मीणा	श्री प्रहलाद मीणा	S.T.	15-08-1995	B.A.	MALE	मकान नं. 84 भारत नगर नियर रूपवास अलवर पिन–301001	मीना	ST-M-1 NTSP	ST-M-01	1152
3	1002811	श्री रविन्द्र सिहं	श्री प्रयाग सिंह	GEN-EWS	08-10-2002	12th	MALE	गांव जोधा तहसील व थाना जैसलमेर सदर जिला जैसलमेर पिन–345001	राजपूत	GEN-EWS-3 NTSP	EWS-M-03	1149
4	1002656	श्री जयेश कुमार सुधार	श्री नरेश कुमार सुधार	OBC NON CREAMY	[illegible]-03-[illegible]	M.COM.	MALE	गांव अन्दर का शहर सुधारबाडी सलुम्बर, जिला सलुम्बर पिन–313027	सुधार	GEN-M-10 TSP	GEN-M-10	1151

Signature valid
Digitally signed by Ra[illegible]n Singh
Designation: Superintendent Of Police
Date: 2025.05.20 [illegible]0:11:46 IST
Reason: Approved

उपरोक्त अभ्यर्थियों की कॉस्टेबल पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन होगी:–

1– दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थाईकरण होने के पश्चात् स्थाईकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे मेट्रिक्स में लेवल–5, सेल–1 में नियमित वेतन निर्धारण रूपये 20800/– किया जाकर नियमानुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे तथा नियमानुसार कटौतियॉ की जावेंगी।

2– राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के शैड्यूल–IV (नियम–16) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा काल के दौरान प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में नियमानुसार 12 दिन आकस्मिक अवकाश देय होगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश, अवकाश लेखे में जमा नहीं किया जावेगा।

3– Female कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम–1951 के नियम–103 एवं 104 के तहत् प्रसूति अवकाश देय होगा तथा MALE अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम–1951 के नियम–103ए के तहत पितृत्व अवकाश देय होगा।

4– राज्य सरकार के आदेश संख्या–एफ 12 (3) एफडी/रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, जो नियमानुसार प्रभावी होगी।

5– राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–5(5) एफडी/इंश्योरेन्स/2020 दिनांक 09.04.2021 आदेश संख्या– एफ–5(5) एफडी/इंश्योरेन्स/2020 पार्ट–II दिनांक 07.07.2021, दिनांक 07.09.2021 व 19.04.2021 में वर्णितानुसार आर0जी0एच0एस0 योजना लागू होगी व नियमानुसार कटौतियॉ की जायेगी।

6– राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ–13(3) एफडी/रूल्स/2001 दिनांक 04.10.2001 एवं आदेश संख्या प–7(1)कार्मिक (क–2)/95/पार्ट जयपुर दिनांक 13.08.2004 के प्रावधानानुसार नियुक्ति के उपरान्त यदि किसी अभ्यार्थी के दो से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते हैं तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक किया जाएगा।

7– विवाह में दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पति/पत्नी रखने, अपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजों में विपरीत तथ्य तथा अन्य किसी भी प्रकार के नियम विरूद्ध तथ्य प्राप्त होने पर बिना नोटिस तत्काल प्रभाव से ऐसे अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जाएगा।

8– विवाहित अभ्यार्थी अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अपने बच्चों के विवरण के संबंध में भी शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। विवाह के समय दहेज नही लिया/दिया का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9– अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों में कॉन्स्टेबल भर्ती 2023 हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक नं.5(02)पु.फो./कानि0 भर्ती/2023/3346 दिनांक 03.08.2023 के बिन्दु संख्या–18(ii) में अंकितानुसार किसी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

10– समस्त नव नियुक्त अभ्यर्थी (i) दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री, पहनने के कपड़े (ii) मैस एडवास राशि 5000/–(iii) कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क की राशि 2600/– लेकर **दिनांक 23.05.2025** तक कार्यालय निदेशक, इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर में अपनी उपस्थिति देंगे। उक्तानुसार निश्चित तिथि तक उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यार्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

11– राज्य सरकार के पत्रांक प–22(5)गृह–1/2016 पार्ट जयपुर दिनांक 16.08.2016 में वर्णित प्रावधानानुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12– उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई राजकीय सेवा में है तो नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी डिस्चार्ज/कार्यमुक्त आदेश आवश्यक रूप से लेकर उपस्थित होवे।

13– ड्यूटी ज्वाईनिंग के प्रयोजनार्थ अन्य किसी प्रकार [illegible] नहीं होगा।

(रतन सिंह)
पुलिस अधीक्षक,
आसूचना जयपुर।

ईओबी नं0:– 556 दिनांक:– 20/05/25

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]n Singh
Designation: Superintendent Of Police
Date: 2025.05.2[illegible]:11:46 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान महानिदेशक पुलिस इन्टे. राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति/प्रशिक्षण) राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् महानिरीक्षक्र पुलिस (इन्टे./सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस (इन्टे./एसएसबी) राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, इन्टेलिजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय में अविलम्ब भिजवावें तथा अभ्यर्थियों की आमद, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था कराने का श्रम करावे।
6. सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड प्रथम, विशा जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के बैंक खाते राजस्थान पुलिस सैलेरी पैकेज में जुड़वाने तथा एम्पलॉई आईडी एवं प्राण नम्बर अतिशीघ्र जारी कराना सुनिश्चित करे।
7. ईओबी/निजी पत्रावली लिपिक, विशा जयपुर।
8. प्रभारी, पुलिस वैबसाईट, राजस्थान जयपुर/कम्प्यूटर सैल सीआईडी विशा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को पुलिस वेबसाइड पर अपलोड करें।
9. संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपनी उपस्थिति दिनांक 23.05.2025 तक इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर में देना सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक,
आसूचना जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by [illegible] Singh
Designation: Superintendent Of Police
Date: 2025.05.[illegible]:11:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15403080